

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

रॉची,
दिनांक :- 6-8-14

अधि.सं.—03/पी.एम.सी./कार्य-82/2010-11.....7529/जल संसाधन विभाग के अधीन झारवाटर के गठन के फलस्वरूप संगम-अनुच्छेद एवं समझौता ज्ञापन पत्र जल संसाधन विकास सोसाईटी (परिशिष्ट-1) के अनुच्छेद 28(ii) के शर्तों के तहत श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, रॉची को अपने कार्यों के अतिरिक्त अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

7529

रॉची, दिनांक :-

6-8-14

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

7529

रॉची, दिनांक :-

6-8-14

प्रतिलिपि:—महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड रॉची (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी), विभाग झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि. रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ श्री रामदेव सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, रॉची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 06, 07यो., 07ब., 08ए., 08बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र.)